



पत्रांक : प0सा10 / सेमे0प0 / 522 / 2018

दिनांक : 07 मई, 2018

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक-सूचना

1. परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप घाच, कलकूलेटर, अस्त्र-शस्त्र एवं किसी प्रकार का अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धी सामग्री ले जाना प्रतिबन्धित है।
2. उत्तर-पुस्तिका के अन्दर अथवा बाहर किसी भी प्रकार का अनावश्यक चिन्ह न लगाएं तथा रंगीन स्केच पेन/मार्कर पैन का प्रयोग न करें। यह कृत्य अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा।
3. परीक्षा में प्रश्नपत्रों का बहिष्कार अनुशासनहीनता का द्योतक माना जाएगा। किसी परीक्षार्थी की परीक्षा छूट जाने/बहिष्कार करने की दशा में पुनः परीक्षा नहीं करायी जायेगी।

आज्ञा से
परीक्षा नियंत्रक
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी

मा0 कुलपति जी ने यह कहने का निदेश दिया है कि उक्त सूचना को परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के पास बड़े-बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने हेतु समस्त परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को निर्देशित किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 कुलपति जी के निर्देश के क्रम में उक्त सूचना को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के पास बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष- जनपद : वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बलिया।
3. प्रभारी संगणक केन्द्र- उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक